euvy&8

ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों ओर अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।

lLFkkxr 0;oLFkk,¡

xke Lrjh; uhfr 0;oLFkk %

1– उत्तरांचल शासन की एकल गांव जल आपूर्ति योजनाओं की नियोजन, डिजाईन, क्रियान्वयन, संचालन, रखरखाव और प्रबन्धन करने की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने की नीति के अनुसार उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों को उपयोगकर्ता वर्ग–स्तर पर क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में विभाजित किया गया है।

2– एकल गांव योजनाओं की परिभाषा को सामन्यतया उन योजनाओं तक सीमित किया गया है जो एक राजस्व ग्राम अथवा ऐसे राजस्व ग्राम की बस्तियों के अन्दर पड़ता है। किन्तु, एक ग्राम पंचायत के अन्दर पड़ते एक से अधिक पड़ते राजस्व ग्रामों को सेवित करती पेयजल योजनाओं भी ग्राम पंचायत की सहमति से, जिन्हें उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता से उपसमितियों द्वारा प्रबन्धित किया जा सकता है, एकल ग्राम योजना ही वर्गीकृत की जाएगी।

3– एकल ग्राम योजनाओं का रखरखाव एवं मरम्मत कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। उपभोक्ता 55 lped सेवास्तर तक ऐसी योजनाओं पर आए पूंजीगत खर्च का @10% की दर से अ"ांदान करेगे। यह 10% अं"ादान 2% नगद रा"ि के रूप में तथा इसका शेष भाग नकद रा"ि के रूप में अथवा उपयोगकर्ताओ की रजामन्दी से परिश्रम के रूप में दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के परिवार 5%ः अं"ादान करेगे जिसका 1% नकद और बाकी का अ"ांदान नकदरा"ि के रूप में अथवा इन परिवारों की रजामन्दी से श्रम के रूप में दिया जा सकेगा।

4– क्रियान्वित की जाने वाली सभी एकल गांव योजनाएं मांग प्रेरित दृष्टिकोण अपना सेक्टर प्रस्तुत दृष्टि पर आधारित की जाएगी। उपयोगकर्ता (यू.डब्ल्यू.एस.एस.सी.) समितियों और ग्राम पंचायतों को सभी एकल ग्राम योजनाओं का नियोजन करना, डिजाईन बनाने, क्रियान्वित, वित्तीय नियन्त्रण और प्रबन्धन की प्रधान भूमिका रहेगी। सरकारी संगठन इस प्रक्रिया में सुविधायक की तरह ही कार्य करेंगे।

5– उत्तराखण्ड पेयजल निगम और उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी एकल ग्राम योजनाएं विभिन्न चरणों में बांटकर 2005 से 2008 तक ग्राम पंचायतों को सौंप दी जाएगी। ऐसी योजनाओं के अन्तरण से पूर्व नवीकरण जहां भी अपेक्षित होगा ग्राम पंचायतों और उपयोगकर्ता समितियों की सक्रिय सहयोगिता से किया जाएगा। उत्तराखण्ड पेयजल निगम और उत्तराखण्ड जल संसथान उपर्युक्तों को क्रियान्वित करने के लिए निि"चत कार्य योजना तैयार करेगी।

6– विभिन्न स्रोतों उत्तराखण्ड राज्य शासन, भारत सरकार के स्वजलधारा कार्यक्रम तथा एकल ग्राम योजनाओं के लिए बाहर से सहायता देने वाली एजेन्सियों से प्राप्त हुई सभी धनरा"ियों यू.डब्ल्यू.एस.एस.सी. को सौंपी और उसी के द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मि"ान (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) और ग्राम पंचायतों के माध्यम ये उपयोग में लाई जाएगी। पी.आर.आई. के सभी स्तरों पर आई.ई.सी. और एच.आर.डी. के कार्यक्रमों को नियमपूर्वक स्वीकृत ढंग से ग्राम पंचायतों और अन्य पी.आर.आई.–ओं की क्षमता बढ़ाने के लिए संगठित किया जाएगा।

एकल ग्राम जल आपूर्ति योजनाओं के साथ पर्यावरण स्वच्छता कार्यो को सुनि"िचत बनाने के लिए सभी कार्यक्रमों को सेक्टरगत दृष्टिकोण से क्रियान्वित किया जाएगा। वर्षा जल संरक्षण के लिए चाल, खाल और सरोकार विकसित किए जायेगे और मकान की छतों से गिरता जल बचाकर रखा जाएगा। जल ग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा करने वाले कार्य नि"चयपूर्वक ग्राम पंचायतों और यू.डब्ल्यू.एस.एस.सी. द्वारा क्रियान्वित कराए जायें।

उपर्युक्त व्यवस्था को सुनि"िचत करने के लिए संसाधनों को राज्य स्तर पर एकल योजना के लिए नियत कर दिया जाएगा। राज्य जल एवं स्वच्छता मि"ान ऐसी विधिओं की एकल नीति रूपरेखा के अधीन ग्राम योजनाओं के लिए उपयोग किए जाने का मूल्यांकन करने का उत्तरदायी होगा। वित्तीय प्रबन्धों सामान प्रबन्धन, लेखाकरण और–लेखा परीक्षण के प्रावधान वैसे ही रहेगें जैसे एकल ग्राम योजनाओं के लिए मिलती धनरा"ियों के लिए बनाए गए हैं।

2- 'kh"kZ LFkkuh; laLFkkfud 0;oLFkk %

सेक्टरगत संस्थाओं उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड जल संस्थान, परियोजना प्रबन्धन इकाई, जिसमें परियोजना द्वारा क्रियान्वित कराए जा रहे कार्यो के लिए स्वीकृत क्रियान्वयन नीति तैयार करने के लिए।

नियोजन नीति निर्माण पड़ताल और मूल्याकंन, ग्रामणी एवं नगरीय क्षेत्रों में समुदायों के भागीदारी वाली एवं मांग प्रेरित जल आपूर्ति योजनाएं पर्यावरणीय स्वच्छता पेयजल, जल प्रवाह प्रणाली जैसे विषयों की एक समान नीति तैयार करने के लिए।

राज्य जल एवं स्वच्छता मि"ान (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) को पुनर्गठित किया गया है परियोजना प्रबन्धन इकाई, उत्तराखण्ड जल संस्थान और उत्तराखण्ड पेयजल निगम अपना काम एस.डब्ल्यू.एस.एम. के दि"ाा–निर्दे"ाों के अनुसार करेंगे।

जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–2542/उन्तीस/6–2(22पे0)/2004 दिनांक 21 नवम्बर, 2006 को निरस्त करते हुये वर्तमान में निर्गत शासनादेश संख्या–159/उन्तीस (1)/2010–2(22पे0)/2004 दिनांक 18 फरवरी, 2010 के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुसार संस्थागत समितियों का गठन किया है।

3& ifj;kstuk izcU/ku bdkbZ dh Hkfedk vkj mRrjnkf;Ro

परियोजना प्रबन्धन इकाई अथवा ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना राज्य जल एवं स्वच्छता मि"ान के रूप निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगाः–

1. राज्य के सभी जिलों में स्वजलधारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन एजेन्सी और सुविधायक का कार्य करना तथा जिला हरिद्वार के सेक्टर सुधार परियोजना का बचा हुआ कार्य पूरा करना।
2. उत्तराखण्ड पेयजल निगम और उत्तराखण्ड जल संस्थान को नियत किए हुए जिलों/ ब्लॉको को छोड़कर सभी जिलो/ ब्लॉकों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन एजेन्सी की तरह काम करना तथा राज्य के सभी जिलों के टी.एस.सी. का समन्वय करना।
3. बाहर से सहायता मिलने वाली स्वजल परियोजना चरण–II की तैयारी और क्रियान्वयन सुनि"चित करना।
4. पंचायती राज संस्थाओं का ग्राम समुदायों के साथ–साथ सूचना, f"ाक्षा और संचार द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में भागीदारी प्रोत्साहित करना।
5. सेक्टर सुधार सिद्धान्तों के अधीन मांग प्रेरित दृष्टिकोण अपनाकर सभी एकल ग्राम योजनाओं का समन्वय एवं क्रियान्वन सुविधाजनक करना।
6. बहुग्राम योजनाओं के लिए संस्थात्मक और क्रियान्वयन व्यवस्था का अध्ययन करना तथा 75वें संवधिान स"ोधन के अनुसार सुझाव देना।
7. विविध अन्य विभागों और संगठनों के सहयोग से जल संसाधनों के पुनर्भरण की कार्य योजना बनाना और क्रियान्वित करना।
8. राज्य के जल संसाधनों के प्रदूषण नियन्त्रण के समन्वयन और सुविधायक के रूप में कार्य करना।
9. राज्य के सभी जिलों में कार्यरत विभिन्न जिला प्रबन्धन इकाईयों के स्थापना और वित्तीय मामलों का नियन्त्रण करना।
10. भारत सरकार और राज्य शासन द्वारा समय पर जल सेक्टर में सौंपे गए कार्यों को संपादित करना।
11. एस.डब्ल्यू.एस.एम. और जल प्रदूषण नियन्त्रण प्रकोष्ठ का कार्यालय पी.एम.यू. के वर्तमान कार्यालय मे ही स्थापित किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखण्ड पेयजल निगम और उत्तरांचल जल संस्थान के कर्मचारियों की सेवाएं ही स्थानान्तरण पर ली जाएगी। यह प्रकोष्ठ एस.डब्ल्यू.एस.एम. के अधीन रहकर कार्य करेगा।

4& Hkkjr ljdkj] jkT; 'kklu vkj ckgj ls lgkfer lsDVjksa dh ifj;kstukvksa d fØ;kUo;u d fy, ftyk Lrjh; laLFkkRed 0;oLFkk&

जिला जल एवं स्वच्छता मिश्ku

जिला जल एवं स्वच्छता मि"ान भी अध्यक्षता जिला पंचायत का अध्यक्ष करेगा जिसको जिला स्तर पर निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है।

1–	जिला पंचायत, अध्यक्ष	पदेन अध्यक्ष
2–	माननीय संसद, सदस्य	सदस्य
3	माननीय विधायक	सदस्य
4–	जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा चक्रवत मनोनित तीन जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
5–	ब्लाक पंचायत सदस्य द्वारा चक्रवत मनोनीत तीन ब्लाक पंचायत सदस्य	सदस्य
6–	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य

7— अधीक्षण अभियन्ता / अधि”ाासी अभियन्ता उत्तरांचल पेयजल निगम — सदस्य
8— अधीक्षण अभियन्ता / अधि”ाासी अभियन्ता, उत्तरांचल जल संस्थान — सदस्य
9— जिला ि”ाक्षा अधिकारी — सदस्य
10— जिला पंचायती राज अधिकारी — सदस्य
11— जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी — सदस्य
12— जिला जन कल्याण अधिकारी — सदस्य
13— उप—परियोजना अधिकारी, जल नियन्त्रक परियोजना — सदस्य
14— जिला परियोजना प्रबन्धक डीपीएमयू (स्वजल परियोजना) — सदस्य / सचिव
15— वन मण्डल अधिकारी — सदस्य
16— कार्यकारी अधिकारी, सिचांई — सदस्य
17— कार्यकारी अधिकारी, लघु सिचांई — सदस्य
18— कार्यकारी अधिकारी जल विभाजक प्रबन्धक — सदस्य

ftyk ty ,o LoPNrr मिशku dh Hkfedk ,o mRrjnkf;Ro

1. राज्य शासन और राज्य जल एंव स्वच्छता मि”ान (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) के नीतिगत निर्णयों के अनुसार एकल ग्राम जल आपूर्ति योजनाओं के नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन।
2. जल आपूर्ति योजनाओं की नियोजन, डिजाईन क्रियान्वयन और रखरखाव में जिला स्तरीय सेक्टर सुधार सिद्धान्तों के अनुसार जिला जल एवं स्वच्छता समिति (कार्यनिर्दे”ान समितियों) का मार्गद”ान।
3. जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा प्रस्तावित पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित वार्षिक बजट का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के खर्चो की समीक्षा।
4. पेयजल योजना की तकनीकी समीक्षा हो जाने के उपरान्त क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा।
5. पेयजल एवं स्वच्छता कार्यो में ग्राम पंचायत उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति की सहायता करना।
6. पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के आंकड़ों में न्यानानुसार निर्णय करना।
7. जिला जल एवं स्वच्छता मि”ान वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगा तथा पी.एम.यू. ही डी.डब्ल्यू.एस. एम. के सचिवालय का कार्य करेगा।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला जल एवं स्वच्छता समिति जिला स्तर पर डी.डब्लू.एस.एम. की सहायता करेगीः—

1—मुख्य विकास अधिकारी — अध्यक्ष
2—जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी — सदस्य
3—जिला विकास अधिकारी — सदस्य
4—जिला ि”ाक्षा अधिकारी — सदस्य
5—अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत — सदस्य
6—जिला पंचायत राज अधिकारी — सदस्य
7—अधि”ाासी अभियन्ता जिला परियोजना, प्रकोष्ठ उत्तरांचल पेयजल निगम — सदस्य
8—अधि”ाासी अभियन्ता जिला परियोजना , प्रकोष्ठ उत्तरांचल जल संस्थान सदस्य
9—जिला परियोजना प्रबन्धक, डी.पी.एम.यू. (स्वजल परियोजना) — सदस्य
10—प्रभाकीयवनाधिकारी — सदस्य
11—कार्यकारी अधिकारी सिंचाई — सदस्य
12—कार्यकारी अधिकारी लघु सिंचाई — सदस्य

Mh-MCy-,l-lh- fuEufyf[kr dk;k d fy, mRrjnk;h gkxh&

1. राज्य जल एवं स्वच्छता मि”ान तथा जिला जल एवं स्वच्छता मि”ान द्वारा किए गए नीतिगत निर्णयों के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं का क्रियान्वयन।
2. स्वजलधारा और संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए ग्राम पंचायतों का चयन तथा ग्राम पंचायत और उपयोगकर्ता समूहों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का अनुमोदन एवं समीक्षा।

3. स्वजलधारा, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए गैर–सरकारी संगठनों और सी.वी.ओ. को चुनने की प्रक्रिया तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मि”ान को सिफारि”ों उपलब्ध कराना।
4. स्वजलधारा और संपूर्ण स्वच्छता मि”ान के अधीन कराए जा रहे कार्यों का प्रभावकारी मूल्यांकन और पर्यवेक्षण।
5. उपर्युक्त समिति भारत सरकार, राज्य शासन द्वारा तय की गयी नीतियों के अनुसार तथा एस.डब्लू.एस.एम. के मार्गद”ान में रहकर कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त यह एस.डब्लू.एस.एम. द्वारा मांगी गई जानकारी भौतिक और वित्तीय प्रगति कर विवरण भी उपलब्ध कराएगी।
6. जल एवं स्वच्छता परियोजना में किए गए वास्तविक वितीय सौदों और प्रबन्धन का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन।
7. जिला स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित बजट प्राप्त करने के लिए जल एवं स्वच्छता मि”ान को सहायता देना।
8. ग्राम पंचायत और उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों को निर्माण कार्यों में मार्गद”ान और सहयता देना तथा निर्माण किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनि”चत बनाना।

जिला संचालित समिति तीन महीनों में कम से कम एकबार अव”य अपनी बैठक किया करेगी। डी.पी.एम.यू. जिला जल एवं स्वच्छता मि”ान तथा जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सचिवालय का भी कार्य करेगा। एक पृथक जिला जल एवं स्वच्छता मि”ान सोसाईटीज़ रजिस्ट्रे”ान अधिनियम 1860 के अधीन सेक्टर सुधार परियोजना (स्वजलधारा–प्प्), हरिद्वार के लिए पंजीकृत कराया जा चुका है। इस पुर्नव्यवस्था के अधीन विद्यमान व्यवस्था को भंग कर दिया जाएगा।

6& ftyk ifj;kstuk izcU/ku bdkbZ ¼Mh-ih-,e-;w-½

जिला परियोजना प्रबन्धन एस.डब्लू.एस.एस. और डी.डब्लू.एस.सी. की सहायता करेगा तथा परियोजना क्रियान्वित के सभी चरणों में ग्राम पंचायतों और यू.डलू.एस.एस.सी.–ओ. को सहायता पहुँचाएगा। यू.डब्लू.एस.एस. सी.–ओ. के सान्ध्यि में यह ग्राम पंचायतों और यू.डब्लू.एस.एस.सी. के लिए सुविधायक और समन्वय का कार्य करेगा।

xzke iapk;rksa dh Hkwfedk vkSj mRrjnkf;Ro%&

1. उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों द्वारा तैयार और जल प्रबन्धन समिति की मार्फत प्रस्तुत की गई योजनाओं का अनुमोदन।
2. ग्राम पंचायत परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी से आई धनरा”ायां प्राप्त करेगी तथा पेयजल योजनाओं के लिए धनरा”ायों का प्रबन्धन करेगी और प्राप्त हुए धनरा”ा को 15 दिनों के अन्दर चेक द्वारा उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों को अन्तरित कर देगी। विभिन्न उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों के लिए पृथक–पृथक लेजर रखे जाएंगे।
3. पेयजल और स्वच्छता योजनाओं के लिए प्राप्त हुई धनरा”ायों के लेखे का रखरखाव ग्राम पंचायत स्तर पर महालेखाकार द्वारा निहित किए प्र्ररूप के अनुसार किया जाएगा।
4. ग्राम पंचायत ग्राम निधि लेखा का लेखापरीक्षण कराना सुनि”चत करेगी तथा उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति, अपनी उपसमिति के लेखों का परीक्षण करना सुनि”चत कराएगी।
5. ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल और स्वच्छता निर्माण कार्यों का खाता खोला जाऐगा। जो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा मिलकर संचालित किया जाएगा। किन्तु यदि ग्राम पंचायत सचिव उपलब्ध न रहे तो उस स्थिति में परियोजना एक कार्यकर्ता को सह–सचिव मनोनीत कर सकेगी। ऐसे लेखों के रखरखाव के लिए एक सहायक लेखाकार परियोजना द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
6. ग्राम पंचायत पेयजल सम्बन्धी झगडों को ग्राम पंचायत स्तर पर सुलझाने का प्रयास करेगी।
7. ग्राम पंचायत के उपर्युक्त दायित्वों को निपटाने में ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति उसकी सहायता करेगी।

7& Hkkjr ljdkj] jkT; 'kklu vkSj ckgj ls lgk;d ifj;kstukvksa ds fØ;kUo;u ds fy, xzke Lrjh; lkLFkkfud izcU/ku

राज्य शासन मे राज्य के अन्दर उपयोगकर्ताओं पर आधारित उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता समितियां बनाने का प्रावधान किया है। यह प्रबन्धन भारत सरकार के स्वजल धारा कार्यक्रम के निम्नलिखित आधारभूति सुधार सिद्धान्तों का क्रियान्वयन करने के लिए अनिवार्य हैः–

1– समुदाय के लिए मांग प्रतिचारी दृष्टि अपनाना।

2– पेयजल योजनाओं के चुनाव नियोजन, डिजाईन, क्रियान्वयन, वित नियन्त्रण और प्रबन्धकारी व्यवस्था में शामिल करते हुए समुदाय की पूरी–पूरी भागीदारी इनमें सुनि"चत करना।

3– पंचायत के समुपयुक्त स्तरों पर पेयजल परिसम्पतियों पर पूर्ण स्वामित्व देना।

4– पेयजर्ल योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव तथा पंचायत समुदायों द्वारा जल उपयोग का समुपयुक्त प्रभार स्थिर करना।

5– स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्रोत संरक्षण कार्यक्रमों को पेयजर्ल योजनाओं के साथ स्वीकृत करना।

उपभोक्ता प्रेरित प्रणाली स्वजल–I परियोजना और स्वजलधारा कार्यक्रमों में सफल रही है। इसलिए प्रस्तावित व्यवस्था में ग्राम पंचायत क्षेत्र में पेयजल योजनाओं की संख्या पर निर्भर करते हुए पृथक–पृथक उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता समितियां अपने–अपने क्षेत्राधिकारों में स्थापित करेगी। इन उपयोकर्ता उपसमितियों को ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति की उपसमिति घोषित कर दिया जाएगा। उत्तरांचल के राज्यपाल ने उत्तरप्रदे"ा पंचायती राज अधिनियम 1947 को (जैसे कि वह उत्तरांचल राज्य पर लागू होता है) की धारा 29 की उपधारा (3) में उन्हें मिली हुई शक्तियां को उपयोग करते हुए उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों को ग्राम पंचायतों का जल प्रबन्धन समिति की उपसमितियां बना दिए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इन समितियों का उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियां कहा जाएगा।

d& miHkkDrk i;ty ,o LoPNrk lfefr dk fuekZ.k&

1– The User Group, which is beneficiary of any water supply scheme, shall/will elect Chairman, उपयोगकर्ता समूह जो की अन्य किसी पेयजल योजना से लाभान्वित है वह अपनी उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सदस्य चुनेगी। उपयोगकर्ता समूह का अर्थ उन परिवारों के जो पेयजर्ल योजनाओं के लाभान्वित हैं, वयस्क सदस्यों से है।

2– उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के न्यूनतम सात (7) और अधिकमम बारह (12) सदस्य होगे। जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत के चुने हुए वार्ड सदस्य और सम्बन्धित उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितिय के ग्राम पंचायत सदस्य उपसमिति के पदेन सदस्य होगें। ग्राम प्रधान सभी उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों के पदेन अध्यक्ष होगें। उपसमिति उस उपसमिति के सदस्यों में से किसी को कोषाध्यक्ष चुनेगी। उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के सदस्यों के कम से कम 30% महिला और 20% अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति सदस्य रहेगें जिन्हें सामान्यकों के अनुसार प्रतिनिधि मिलेगा। उपसमिति द्वारा निर्णय किये जाने के लिए उपसमिति सदस्यों का 50% बैठकों में गणपूर्ति माना जाएगा।

[k& miHkkDrk i;ty ,o LoPNrk lfefr dh Hkfedk vkj mRrjnkf;Ro&

1– उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं (पेयजल, मोरियो से पानी निकालना, व्यक्तिगत घरों के शौचालय, जलसोरन गढ्ढे, खाद निर्माण गढ्ढे आदि) के लिए किये निर्माण कार्यो की पूंजीगत लागत तथा उन योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए भी ये उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियां समुदाय से स्वैच्छिक अं"ादान (नकद रा"ा या श्रम) इकट्ठा किया करेगी। यह उपसमिति निर्माण कार्यो के तकनीकी विकल्पों पर विचार विम"ा भी किया करेगी और उन्हें अपनाएगी ताकि योजनाओं का निर्माण ग्रामीणों की प्रत्या"ाालों के अनुसार किया जाए।

2– पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं का नियोजन, डिजाईन, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव करना।

3– पेयजल उपयोगकर्ताओं से योजना के रखरखाव के लिए उपयोगकर्ता प्रभार इकट्ठा करना और प्रभार का भुगतान न किया जाने पर उपयुक्त कार्यवाही करना।

4– नियमों के अनुसार निर्माण सामग्री मंगाना और मंगाई गई साग्रमी की गुणवत्ता सुनि"चत करना।

5– ग्राम पंचायत से पूंजीगत निवे"ा प्राप्त करना, उसे उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के पूंजीगत लागत खाते में जमा कराना तथा योजना में की गई नियोजन के अनुसार उसे खर्च करना।

6– पूंजीगत लागत निवे"ाों का ब्यौरा बनाकर रखना।

7– पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के संचालन एंव रखरखाव के लिए उपभोक्ता प्रभार नियत करना।

8– मासिक वित्तीय प्रगति विवरण परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी को प्रस्तुत करना।

9– ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति और ग्राम पंचायत के साथ समन्वय रहना सुनि"चत करना।

x& ;w-MCyw-,l-,l-lh- y[kkvk dk lpkyu o j[kj[kko

1– उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति दो अलग–अलग लेख खोलेगी। उपसमिति पूंजीगत लागत तथा संचालन व रखरखाव के लिए दो अलग–अलग लेख बनाएगी। इन लेखों का लेखा परीक्षण उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति द्वारा किया जायेगा।

2– उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के दो लेखे उक्त उपसमिति अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष द्वारा संचालित किए जायेगे। ग्राम पंचायत स्तर पर परियोजना द्वारा उपलब्ध कराया गया सहायक लेखाकार लेखाओं के रखरखाव और लेखा परीक्षण कराने में यू. डब्लू.एस.एस.सी. की सहायता करेगा।

3– पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं का नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव कार्य उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति द्वारा किया जाएगा और खुली बैठक मे उसे ग्राम पंचायत से अनुमोदित कराया जाएगा। तकनीकी कार्यों की तत्सम्बिन्धित सेक्टर दावों के परिप्रेक्ष्य में निर्यक जांच और क्षेत्रोपायों के लिए दिये गये दि"ाा–निर्दे"ाों पर्यावरण के अनुपालन को सुनि"चत परियोजना के विषय वि"ोषज्ञ के माध्यम द्वारा परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा कराया जाएगा।

8& ftyk ifj;kstuk izcU/ku bdkbZ ¼Mh-ih-,e-;w-½@ ftyk ty ,oa LoPNrk bdkbZ

डी.पी.एम.यू. जिसकी अध्यक्षता परियोजना प्रबन्धक करेगें, डी.डब्लू.एस.एम. का सचिवालय होगा। परियोजना प्रबन्धक कार्यकारी समिति और डी.डब्लू.एस.एम. के साधारण निकाय का सदस्य सचिव होता है। परियोजना प्रबन्धक की सहयता उप परियोजना प्रबन्धक, स्वास्थ्य और स्वास्थ्यकी सामुदायिक विकास अभियान्त्रिक वित और सहायक कर्मचारीगण के अधिक तीन पराम"ादाता करते हैं। डी.पी.एम.यू. का संगठन नीचे बताया जा रहा है–

Mh-ih-,e-;w-@ ^ftyk ty ,oa LoPNrk bdkbZ dh lajpuk*

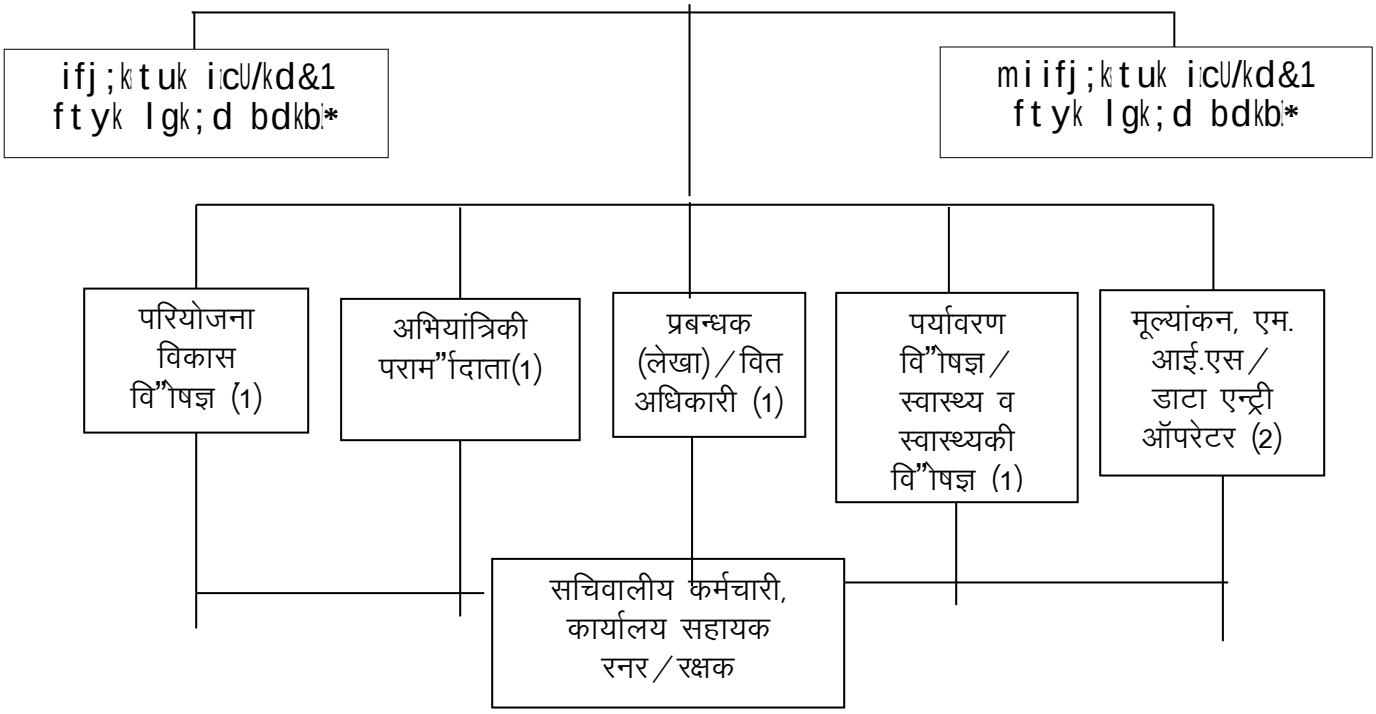

***** जिले का आकार देखते हुए 2 या 3 जिला सहायता इकाई स्थापित की जाएगी।

डी.पी.एम.यू. के कार्य निम्नानुसार होगें:–

1– परियोजना क्रियान्वयन का दिनोदिन प्रबन्धन उत्तरदायित्व तथा परियोजना के क्रियान्वन के लिए आव"यक सभी कार्यों को हाथ में लेना।

2– समुपयुक्त यांत्रिकताओं के माध्यम ये नियमित मूल्यांकन करते रहना (और उसका सूचना भारत सरकार, एस.डब्लू.एस.एम., डी.डब्लू.एस.एम. को आव"यकतानुसार देते रहना)

3– डी.डब्लू.एस.एम. के नीतिगत निर्दे"ाों का पालन करना।

4— अभियांत्रिकी सामुदायिक विकास और स्वच्छता क्रियाकलाप के बारे में सहायक संगठनों, ग्राम पंचायतों, यू.डब्लू.एस.एस.सी. को तकनीकी पराम”र्ा और मार्गद”र्ान देना।

5— (पेयजल एंव स्वच्छता) सेक्टर नीतियों पर डी.डब्लू.एस.एम. को सलाह देना।

6— डी.डब्लू.एस.एम. के लिए समुचित लेखा और वितीय प्रबन्धन प्रणाली सुनि”चत करना।

7— सभी हितधारियों की क्षमता वर्धन सुनि”चत करना।

8— आई.ई.सी. एजेन्सियों का डिजाईन और क्रियान्वयन करना।

9— डी.डब्लू.एस.एम. के सचिवलीय कार्य उदा0 बैठकों के लिए कार्य विषय तैयार करना और बैठक का कार्यवृत प्रलेखित करना।

10— यू.डब्लू.एस.एस.सी. और ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं का मूल्यांकन करना, प्र”ाासनिक और तकनीकी संमोदनें के लिए उनका मूल्यांकन टिप्पणियां तैयार करना।

11— जल एंव स्वच्छता सेक्टर तथा जिले के महत्वपूर्ण जल—भूविज्ञानीय पक्षों की आधारगत रेखा के बारे में आंकड़ा—आधार बनाना।

12— पेयजल एंव स्वच्छता कार्यो से सम्बन्ध रखने वाली संस्थाओं, एजेन्सियों और व्यक्तियों के साथ जालकर्म समन्वय बनाना, जिसमें जल गुणवत्ता मूल्यांकन भी शामिल है।

13— परियोजना क्रियान्वितों के आंकड़े संग्रह करना, मिलान करना और आंकड़ो तथा अन्य जानकारियों को प्रका”ात करना।

14— परियोजना की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा तथा अन्य त्रैमासिक रिपोर्टें तैयार करना।

LVkQ rduhdh LFkkf;Ro lfefr (STAC)

- वित समिति ने अपनी 14वीं बैठक (एफ.सी. 14.06) में कर्मचारी तकनीकी/मूल्यांकन समिति (एस.टी.ए.सी.) प्रणाली को चालू रखना अनुमोदित किया गया है।
- एस.टी.ए.सी. में सभी समन्वय और वित नियन्त्रक सम्मिलित है और निदे”ाक, पी.एम.यू. इसकी अध्यक्षता करेगें।
- निदे”ाक, जब और जैसे अपेक्षित समझे इसमें आन्तरिक और बाहरी विषय वि”ोषज्ञ को आमन्त्रित कर सकते हैं।
- एस.टी.ए.सी. निम्नलिखित विषय पर अपनी सिफारि”ों देने को जिम्मेदार होगाः—

  अ— सहायक संगठनों का चुनाव

  आ— गांवों का चुनाव

  इ— गांवों को छोड़ना

  ई— सेवादायी एजेन्सियों को किराए पर लाना—

  1— टी.ओ.आर. की समीक्षा

  2— तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा

  3— मोलभाव वार्ता

  उ— व्यक्ति सलाहकारों को किराए पर मंगाना और उनका समय बढ़ाना

  ऊ— व्यक्ति सलाहकारों की क्रिया”ाीलता

  ऋ— कर्मचारी भरती

  ए— सभी सामान, सामग्री, उपसाधन, सेवाएं जैसे ए.एम.सी. छपाई आदि प्राप्त करना।

  ओ— सभी वित्तीय मामलों जिनमें एक बार में रू0 20,000/— से अधिक खर्च करना निहित हो।

  औ— सेवादायी एजेन्सियों की क्रिया”ाीलता

  अं— निदे”ाक के अनुमोदन से कोई भी अन्य कार्य

वर्तमान में स्वजल परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की दिशानिर्देशानुसार निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं:

1. **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)**
2. **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम**

3. पेयजल गुणवत्ता एवं अनुश्रवण
4. पेयजल एवं स्वच्छता सहयोगी संगठन।
5. स्वजल 2.0 कार्यक्रम
6. जल जीवन मिशन

इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भारत सरकार की नीतियों को अपनाते हुये राज्य सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों के भूमिका को राज्य स्तर, जनपद स्तर तथा पंचायत स्तर पर सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश जारी किये हैं। इन कार्यक्रमों के चयन, नियोजन, क्रियान्वयन तथा संचालन एवं रखरखाव में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं स्वंय सेवी संस्थाओं की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावित स्वजल द्वितीय चरण परियोजना के संचालन में भी जनप्रतिनिधियों की भूमिका को राज्य स्तर, जनपद स्तर तथा पंचायत स्तर पर सुनिश्चित किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से निम्न विषयों पर शासनादेश जारी किये गये हैं, जो कि इस पुस्तिका में संकलित किये गये हैंः–

1. पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में सकल क्षेत्र में समरूप नीति (SWAp) अपनाते हुए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं बाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर संस्थागत व्यवस्थायें। इस शासनादेश में निम्न बिन्दु समाहित हैंः–
   जिला जल एवं स्वच्छता मिशनः जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन ।
   जिला जल एवं स्वच्छता समिति (स्टीयरिंग कमेटी)ः जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की सहायता हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर जल एवं स्वच्छता समिति (स्टीयरिंग कमेटी) का गठन ।
2. पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में सकल क्षेत्र में समरूप नीतियों (SWAp-Sector Wide approach) को अपनाते हुये शीर्ष स्तर पर आवश्यक व्यवस्थायें करने के संबंध में।
   1. शीर्ष समिति/(Apex body)
   2. अधिशासी समिति (Executive Committee)
   3. वित्त समिति (Finance Committee)
4. पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में सुधार की नीति को सकल क्षेत्र में समरूप (SWAp- Sector Wide approach) अपनाये जाने हेतु राज्य स्तर पर नीतिगत व्यवस्थायें करने के संबंध में।
5. अधिसूचनाः भारत के संविधान के 73वें संशोधन की भावना को राज्य में क्रियान्वित करने के उद्देश्य से पंचायतीराज विभाग द्वारा शासनादेश सं0 622/पं0ग्रा0अ0से0अनु0/92 (25)/2003 दिनांक 29 अक्टूबर 2003 निर्गत किया गया था। इसी क्रम में पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत पेयजल विभाग से संबन्धित प्रशासनिक, कार्यकारी एवं वित्तीय अधिकारों/दायित्वों को पंचायती राज संस्थाओं को संक्रमित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश सं0 2121/उन्तीस/04–2/2004 दिनांक 17 अगस्त 2004 तथा उत्तरांचल राज्य में पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र सुधार की नीतियों को अपनाए जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 2120/उन्तीस/04–2 (22पे0)/2004 दिनांक 18 अगस्त 2004 निर्गत किये गये हैं और उत्तरांचल राज्य में *उपभोक्ता (Users) आधारित उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों* के गठन हेतु उपबंध किया गया है। यह व्यवस्था भारत सरकार के स्वजलधारा कार्यक्रम के निम्न मौलिक सुधार सिद्धान्तों को क्रियान्वित किये जाने हेतु आवश्यक हैः

1. उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति का गठन
2. उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व
3. ग्राम पंचायतों के *कार्य और उत्तर*दायित्व
4. उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के खातों का संचालन एवं रखरखाव

जनता एवं जनप्रतिनिधियों से परामर्श हेतु नीति निर्धारण

उत्तरांचल ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना (राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन–एस0डब्लू0एस0एम0) में नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधियों के परामर्श/भागीदारी का प्राविधान किया गया है।

जन प्रतिनिधियों की भागीदारीः

राज्य स्तर पर :

राज्य स्तर पर एस0डब्लू0एस0एम0 की शासी निकाय में सहयोगी संस्थाओं/पंचायती राज संस्थाओं के तीन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किया गया है। यह प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नये चयन किये जाते हैं। शासी निकाय में जन प्रतिनिधियों के होने के फलस्वरूप,एस0डब्लू0एस0एम0 में नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों द्वारा परामर्श/भागीदारी का प्राविधान किया गया है।

जनपद स्तर पर :

जनपद स्तर पर राज्य सरकार व राज्य जल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) के द्वारा निर्धारित नीतिगत निर्णयों के अनुसार एकल ग्राम पेयजल योजनाओं में नीतियों को लागू करने हेतु एवं जनपद स्तर पर मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण के लिए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में सम्बन्धित जनपद के माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, चक्रक्रमानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित तीन जिला पंचायत सदस्य, एवं चक्रक्रमानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित तीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख सदस्य हैं। अतः जनपद स्तर पर नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों के परामर्श/भागीदारी का प्राविधान किया गया है।

ग्राम स्तर पर :

राज्य में पेयजल एवं स्वच्छता की योजनाओं को ग्राम स्तर पर क्रियान्वित किये जाने के लिये ग्राम स्तर पर *उत्तरांचल,* उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 12 के अन्तर्गत संगठित ग्राम पंचायत की प्रमुख भूमिका है।

ग्राम स्तर पर स्थायी संस्थागत व्यवस्था हेतु *उत्तरांचल,* उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के अधीन, उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति/ उपसमितियों के नाम से ज्ञात उपसमिति/उपसमितियों का गठन अधिसूचना संख्या 308/86(16)/2005 दिनांक 19 मई, 2005 द्वारा किया गया है।

जन साधारण को सूचना प्रदान किये जाने की व्यवस्थाः–

स्वजल परियोजना के द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों में सूचना, शिक्षा, सम्प्रेषण गतिविधियाँ महत्वपूर्ण घटक हैं। सूचना, शिक्षा, सम्प्रेषण के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर, तथा सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों हेतु कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों आदि के माध्यम से क्षमता विकास किया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों की रणनीति, बजट एवं बजट संचालन व्यवस्था, प्रबन्धन एवं रखरखाव व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी सहयोगी ग्रामवासियों एवं संस्थाओं को सूचना उपलब्ध करायी जाती है।